

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1481] No. 1481] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

का.आ. 1635(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, सेक्टर 14, रोहिणी, नई दिल्ली को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्टॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसचित करती है, अर्थात :

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्युटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क डाइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[सं. 1(13)/2015-सीएलएफ़ई]

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2018

- **S.O.** 1635(E).—In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Forensic Science Laboratory, Sector 14, Rohini, New Delhi under Government of National Capital Territory of Delhi, as Examiner of Electronic Evidence within India with the following scope, namely:—
 - (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
 - (b) Mobile Devices Forensics.

[No. 1(13)/2015-CLFE]

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Secy.

2231/GI/2018